न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2175/एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18.7.14 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव जिला भिण्ड – प्रकरण कमांक 29/2013–14 अपील

1– महावीर 2– राजवीर
3– सुन्दरसिंह पुत्रगण रामसिंह यादव
निवासी ग्राम गोरमी तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

कुमारी पूनम पुत्री कमलकिशोर
ग्राम गोरमी तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी.एस.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 14 – ✕ – 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 29/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार गोरमी के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि रामसिंह पुत्र काशीराम के नाम ग्राम गोरमी में खाता कमांक 1320/2069 कुल किता 33 कुल रकबा 12.693 है., खाताकमांक 1198 कुल किता 1 रकबा 0.188 है. , खाता कमांक 1204 किता 1 रकबा 0.470 है. के भूमिस्वामी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी अतः खातेदार के पुत्र होने से नामांत्रण

किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्र.क्र. 38/12-13अ 6 पंजीबद्ध किया एंव आदेश दि. 28.2.2014 से तीनों आवेदकों का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के समक्ष दि. 5-6-14 को अपील क्र. 29/13-14 प्रस्तुत कर बताया कि मृतक खातेदार रामसिंह के चार पुत्र हैं जिनके एक पुत्र कमलकिशोर आवेदिका के पिता है जो दिमाकीय हालात से ठीक नहीं है उन्हें नामान्तरण में छोड़ दिया गया , इसलिये वह हितबद्ध होने से अपील करने की अनुमति दी जाकर एकपक्षीय आदेश होने से विलम्ब क्षमा किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने अंतरिम आदेश दि. 18-7-14 पारित किया तथा अनावेदक को हितबद्ध पक्षकार होना मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होक यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव ने अनावेदक को हितबद्ध पक्षकार मानने में एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृहि की है ?

1- प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि मृतक भूमिस्वामी रामसिंह के तीन पुत्रों के आवेदन पर नामान्तरण कार्यवाही हुई है जबकि चौथे पुत्र कमलकिशोर को नामांत्रण कार्यवाही में छोड़ दिया गया है। कमलकिशोर मंदबुद्धि होना बताते हुये उसकी ओर से उसकी पुत्री अनावेदक ने

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की है । स्पष्ट है कि अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

2- अनावेदक ने नायव तहसीलदार द्वारा प्र.क्र. 38/12-13अ 6 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2014 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5-6-14 को अपील प्रस्तुत की है तथा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन देकर विलम्ब क्षमा किये जाने की प्रार्थना की है।

भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)-धारा-47 - गरीव, निरक्षर एंव पर्दानसीन महिला - सदभावना की पात्र - उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करने पर विचार करना चाहिये।

भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)-धारा-47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है। उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में तथ्य आया है कि कमलकिशार मंदबुद्धि एंव पागलपन की श्रेणी में है उसके स्थान पर तहसील न्यायालय में अन्य व्यक्ति खड़ा कर नामान्तरण कार्यवाही कराये जाने का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को हितबद्ध पक्षकार मानने एंव अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर